

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -190/2023

अनवान : -

1. कुलदीप कौर पत्नी बलजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. रामजीतसिंह पुत्र भरपूरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी विधालय संख्या 2 नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र जल्लेसिंह जाति कुम्हार साकिन नेहरूनगर नोहर तहसील नोहर।
3. ज्याना पुत्री गजुराम जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता वादीगण

निर्णय


दिनांक: 24/06/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 23/124 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सींव का झगड़ा रहता है इसलिए वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के हिसाब से खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त भूमि के मुताबिक खाता व लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 23/124 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 कुलदीप कौर पत्नी बलजीत सिंह हि० पूर्ण जाति जटसिख सा० ढाणी अराईयान खातेदार मु०न० 54 किला न० 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट मु०न० 43 किला न० 20 की 0.253 हैक्ट कुल 5 किता रकबा 1.265 हैक्ट
- 2 रामजीत सिंह पुत्र भरपुर सिंह हि० पूर्ण जाति जटसिख सा० ढाणी अराईयान खातेदार मु०न० 43 किला न० 21 ता 25 की 1.265 हैक्ट कुल 5 किता रकबा 1.265 हैक्ट
- 3 ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार, कृष्णलाल पुत्र जलेसिंह 1/4 हि० जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० नोहर खातेदान राहिन 1/4 हिस्सा बीओबी शाखा नोहर, ज्याना पुत्री गजुराम 1/2 हिस्सा जाति मीणा सा० नोहर खातेदार मु०न० 43 किला न० 6 ता 19 की 3.542 हैक्ट कुल किला 14 रकबा 3.542 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या -190/2023

अनवान : -

1. कुलदीप कौर पत्नी बलजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. रामजीतसिंह पुत्र भरपूरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी विधालय संख्या 2 नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र जल्लेसिंह जाति कुम्हार साकिन नेहरूनगर नोहर तहसील नोहर।
3. ज्याना पुत्री गजुराम जाति मीणा साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 190 सन 2023 निर्णय दिनांक - 24/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 23/124 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. कुलदीप कौर पत्नी बलजीत सिंह हि० पूर्ण जाति जटसिख सा० ढाणी अराईयान खातेदार मु०न० 54 किला न० 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट मु०न० 43 किला न० 20 की 0.253 हैक्ट कुल 5 किता रकबा 1.265 हैक्ट
2. रामजीत सिंह पुत्र भरपुर सिंह हि० पूर्ण जाति जटसिख सा० ढाणी अराईयान खातेदार मु०न० 43 किला न० 21 ता 25 की 1.265 हैक्ट कुल 5 किता रकबा 1.265 हैक्ट
3. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम 1/4 हिस्सा जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार, कृष्णलाल पुत्र जलेसिंह 1/4 हि० जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० नोहर खातेदान राहिन 1/4 हिस्सा बीओबी शाखा नोहर, ज्याना पुत्री गजुराम 1/2 हिस्सा जाति मीणा सा० नोहर खातेदार मु०न० 43 किला न० 6 ता 19 की 3.542 हैक्ट कुल किला 14 रकबा 3.542 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 24/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर